



2026:AHC-LKO:18604-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 230/2026

अजय कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, धार्मिक मामलों का विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिवम कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार उपाध्याय, मनीष बरनवाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सतीश चंद्र कशिश

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र कशिश को सुना।
2. यह याचिका एक ऐसी भूमि पर व्यावसायिक प्रकृति के कुछ निर्माण का आरोप लगाते हुए दायर की गई है जो एक मंदिर की है। मंदिर के कथित न्यास और प्रबंधन को विपक्षी पक्ष संख्या 5 के रूप में सम्मिलित किया गया है। हमने याचिकाकर्ता से पूछा कि उस भूमि की संख्या क्या है जिस पर ऐसे निर्माण किए जा रहे हैं और भू-अभिलेखों में इसकी प्रकृति क्या है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा सका।
3. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने योग्य मामला नहीं है।
4. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

13 मार्च, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।